न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 01/2018 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या– 2018/00001

उनवान

सामलिया उम्र 80 साल पुत्र मूँगीराम जाति ब्राहम्ण निवासी नावली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

दाऊदयाल उम्र 40 वर्ष पुत्र सामलिया जाति ब्राहम्ण निवासी नावली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 07.11.2017 उनवानी दाऊदयाल बनाम सामलिया मु0न0 229/16

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री तालेराम उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 07.08.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 07.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रार्थी की ओर से अपीलाण्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नावली तहसील बयाना के नवीन खाता संख्या 95 में 1/6 हिस्सा से 1/2 भाग, खाता संख्या 96 में 1/3 हिस्सा से 1/2 भाग, खाता संख्या 97 में 1/3 हिस्सा से 1/2 भाग व खाता संख्या 109 व 110 में 1/3 भाग से 1/2 हिस्सा, की आराजीयात का अप्रार्थी/अपीलाण्ट के नाम गलत व गैर

कानूनी इन्द्राज हो रहा है। उक्त आराजीयात में रैस्पो0/प्रार्थी 1/6 भाग का अपीलाण्ट/अप्रार्थी 1/6 भाग का व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 14, 15, 16, 17 वहिस्सा बराबर 1/6–1/6 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजीयात हैं। विवादित आराजीयात रैस्पो0/प्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 14, 15, 16, 17 को उनके दादा व अपीलाण्ट/अप्रार्थी के पिता मूंगीराम पुत्र हरचन्दा से विरासतन प्राप्त हुई है, जिसमें रैस्पो0/अप्रार्थी, तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 14, 15, 16, 17 का अपीलाण्ट/अप्रार्थी के साथ–साथ वाई वर्थ उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हिस्सा है। अपीलाण्ट/अप्रार्थी विवादित आराजीयात को रिकार्ड में गलत इन्द्राज दर्ज हिस्से अनुसार विक्रय करने की धमकी देते हैं। यदि अपीलाण्ट/अप्रार्थी अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो रैस्पो0/प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म कर दिया जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि रैस्पो0 अपीलाण्ट का पुत्र है एवं एक पुत्र को बाप के जीवनकाल में दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं नियमानुसार एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण प्राइमाफेसी केस एवं अपूर्णनीय क्षति भी उनके हक में बखूबी साबित होती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक रिकार्डेड खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में भारी त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी के 6 बराबर हिस्से करीब 15 साल पूर्ण कर दिये और उसी अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे हैं अतः रैस्पो0 को उनके 1/6 हिस्से तक स्थगन दिये जाने पर अपीलाण्ट को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जो नामान्तकरण संख्या 567 से पैतृक सिद्ध होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि विवादित भूमि पक्षकारो की पैतृक आराजी है; चूंकि पक्षकारान् के अधिकार मूल वाद में, विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त तय होगें, परन्तु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति होने से रैस्पो0/प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टया मामला बनता है एवं दौराने वाद, विवादित भूमि खुर्द–बुर्द ना हो अतः सुविधा संतुलन भी रैस्पो0/प्रार्थी के हक में सिद्ध होती है। दौराने वाद, विवादित भूमि का हस्तान्तरण होने पर अपूर्णनीय क्षति एवं वाद जटिलता व बहुलता होगी। अतः दौरान वादकरण, वाद जटिलता, बहुलता से बचने एवं विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन न्यायोचत है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 07.11.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 07.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official